नगर परिषद पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 की उपधारा (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों का अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओ का अंकेक्षण पालमपुर जिला कांगड़ा में किया गया। जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रधान (नगर परिषद) व कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की गई।

(1) प्रधान नगर परिषद

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री बलवंत ठाकुर	1.4.2014 से 12.1.2016
2	श्रीमती राधा सूद	13.1.2016 से लगातार

(2) कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद)

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री देस राज चौधरी	1.4.2014 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :–

नगर परिषद पालमपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	6(क)	47.04
2	नगर परिषद की सम्पतियों से मासिक किराये की वसूली योग्य शेष राशि	7	49.87
3	जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	8(क)	6.25
4	नगर परिषद के कर्मचारियों को 4:9:14 के संशोधित उच्च वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि	10	1.52

5	नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मचारियों/पैन्शनरों को सम्भावित अधिक भुगतान की गई राशि	11	2.77
6	बहुमंजिला कार पार्किंग एवं वाणिज्य कम्पलैक्स के निर्माण में देरी के फलस्वरूप आय की सम्भावित हानि	12	36.54
7	संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि	13	0.96
8	संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाने बारे	15	0.13

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे यद्यपि वर्तमान अंकेक्षण में कुछ पैरों का निपटारा करवाया गया, तदापि अनेक अनिर्णीत पैरे पिछले लगभग 30 वर्षों से निपटारे हेतु शेष पड़े हैं, जोकि एक चिन्ता का विषय है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष लम्बित पैरों की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"A"** पर दर्शाई गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद पालमपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री विजय कुमार वालिया, (सहायक नियन्त्रक, ले0प0), द्वारा दिनांक 16.4.2016 से 18.6.2016 के दौरान पालमपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है, लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2014–2015	8/2014	9/2014
2015–2016	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एंव अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद पालमपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹47,000 आंका गया। इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्याः Fin(LA)C/KDC/2016-17, दिनांक 13.6.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पालमपुर को अनुरोध किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैंक अंकेक्षण शुल्क की उक्त ₹47,000 को ड्राफ्ट संख्याः 336208, दिनांक 20.7.2016 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद पालमपुर द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2014 से 3/2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर भी दिया गया है।

		वर्ष 2014–15	
प्रारम्भिक शेष			2,17,03,493.13
आय	(i)	Own Source	1,03,75,799.00
	(ii)	Grants	1,04,26,871.00
	(iii)	Interest	11,99,835.00
कुल राशि			**4,37,05,998.13**
व्यय			2,68,91,685.00
अन्तिम शेष			**1,68,14,313.13**
		वर्ष 2015–16	
प्रारम्भिक शेष			1,68,14,313.13
आय	(i)	Own Source	1,30,13,102.00
	(ii)	Grants	3,64,39,255.00
	(iii)	Interest	15,85,062.00
कुल राशि			**6,78,51,732.13**
व्यय			2,69,39,767.00
अन्तिम शेष			**4,09,11,965.13**
		अर्थात	**4,09,11,965.00**

(ख) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr.No.	Name of Bank	A/c Number	Amount
1.	S.B.O.P.	55059019992	2,61,67,118.17
2.	S.B.I (Main)	11034455391	3,28,015.63
3.	SBI (ADB)	11358897488	2,09,772.66
4.	PNB(PSC)	48001	3,17,478.92
5.	PNB (Main)	0375001100000032	74,603.00

6.	O.B.C.	06152010007380	73,449.00
7.	O.B.C.	06152010006188	16,59,014.17
8.	O.B.C.	06152010011850	9,67,672.00
9.	H.G.B.	88120100000260	5,55,739.00
10.	UCO	1643	1,19,813.00
11.	Synidicate	89302200004224	3,00,086.57
12.	I.D.B.I.	5197	3,86,956.00
13.	Allahabad	30422	75,171.00
14.	H.D.F.C	7030	2,327.00
15.	B.O.B.	2645	14,00,552.00
16.	I.C.I.C.I	0465	11,66,339.00
	विभिन्न बैंको का कुल योग		3,38,04,107.12
	सावधी जमा योजना में जमा धन राशि		84,41,835.00
	कुल जमा राशि		**4,22,45,942.12**
	अर्थात		**4,22,45,942.00**

(ग) बैंक समाधान विवरणी –Annexure (क)(i)

Sr. No.	Particulars	Debit	Credit
	Balance as per Cash Book		4,09,11,965.00
(a)	Cheque issued but not presented for payment		
	(i) Ch. No. 147525 dt. 30-3-16	8,531.00	
	(ii) Ch. No. 000011 dt. 30-3-16	10,00,000.00	
	(iii) Ch. No. 075977 dt. 26-3-16	6,082.00	
	(iv) Ch. No. 075977 dt. 26-3-16	4,663.00	(+) 10,19,276.00
(b)	Interest credited by bank on 2/2016 but not taken in Cash Book		(+) 28,134.00
(c)	Income directly deposited into bank but not taken in cash book		(+) 4,37,995.00
(d)	Amount received on 3/2016 & entered in cash book but not deposited into bank upto 31-3-2016	----	(-) 69,349.00
(e)	Expenditure incurred directly from bank but not taken in cash book (Audit 1997 to 2005)	----	(-) 40,889.00
(f)	TDS deducted by bank on FDR"s but not taken in cash book	----	(-) 41,190.00
(g)	Balance as per pass book	----	4,22,45,942.00

(i) जाँच में पाया गया कि वर्ष 2005 से पूर्व ₹40,889 का भुगतान किया गया था जिसकी प्रविष्टि बैंक में की गई थी लेकिन रोकड़ बही में इस भुगतान की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए थे। अतः इस भुगतान की पूर्ण जाँच पड़ताल करके इसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में करनी सुनिश्चित की जाए अथवा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि सम्बन्धित खाते में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा Allahabad Bank में दो FDR में जमा राशि जिनकी Maturity दिनांक 31.3.2016 को थी बैंक द्वारा Maturity Value जो FDR में दर्शाई गई थी उसमें से TDS काट कर निम्न विवरण अनुसार किया गया।

Sr. No.	FDR No.	Maturity Value	TDS Deducted	Net Amount Paid
1.	50193117335	17,53,714.00	29,089.00	17,24,625.00
2.	50193126429	7,29,497.00	12,101.00	7,17,396.00

इस प्रकार इलाहबाद बैंक पालमपुर ब्रांच द्वारा कुल ₹41,190 टी0डी0एस0 के रूप में काटी गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि बैंक प्रबन्धन द्वारा काटे गए टी0डी0एस0 की राशि को वापिस लेने हेतु मामला उठाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) एस0जे0एस0आर0वाई0

क्रम संख्या	2014—15	2015—16
अथशेष	3,26,491.12	1,93,698.30
पावतियाँ	——	——
ब्याज	20,857.18	1,949.00
कुल योग	**3,47,348.30**	**1,95,647.30**
व्यय (निकासी)	1,53,650.00	——
अन्तशेष	**1,93,698.30**	**1,95,647.30**

अन्तशेष का विवरण

Sr.No.	Name of Bank	A/c Number	Amount
1.	State Bank of Patiala Palampur	9026681	20,781.55
2.	Punjab National Bank Palampur	0375000108706655	1,74,865.75
		Total	**1,95,647.30**

नोटः— नगर परिषद द्वारा दिनांक 25.2.2015 को एस0जे0एस0आर0वाई0 खाते से ₹1,53,650 निकालकर खाता संख्याः 55059019992 में जमा करवाई गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(ङ) Town and Country Planning

क्रम संख्या	2014—15	2015—16
अथशेष	1,73,068.28	1,76,501.28
पावतियाँ	——	——
ब्याज	3,433.00	——
कुल योग	**1,76,501.28**	**1,76,501.28**
व्यय	——	——
अन्तशेष	**1,76,501.28**	**1,76,501.28**

अन्तशेष का विवरण

Name of Bank	A/c Number	Amount
State Bank of Patiala Palampur	55059020770	1,76,501.28

जांच में पाया गया कि माह 6/2015 के बाद उपरोक्त खाते बैंक से सम्बन्धित पास बुक को ब्याज के इन्द्राज हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही रोकड़बही में इसका कोई विवरण दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि या तो इस राशि को सावधि जमा में डाला जाए और अधिक ब्याज अर्जित किया जाए अन्यथा जिस प्रयोजन हेतु यह राशि प्राप्त की गई थी उस प्रयोजन हेतु इसे खर्च किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(च) जिलाधीश सहायता अनुदान खाता

दिनांक 31.3.2014 को इस खाते के अन्तशेष की ₹1874.27 को किसी भी उद्देश्य हेतु व्यय नही किया गया और न ही इस खाते में कोई लेन देन किया गया है। इस प्रकार गत 2 वर्षों में इस खाते में सिर्फ ब्याज के रूप में ₹153 प्राप्त हुए हैं अतः दिनांक 31.3.2016 को इस खाते का अन्तशेष ₹2027.27 है। यह राशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (ए0डी0बी0) बैंक के खाता संख्याः 11358904532 में जमा है। अतः इस राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके उचित प्रयोजन हेतु व्यय किया जाए।

5 अनुदान

(क) अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों तथा उसमें से व्यय की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण संलग्न **परिशिष्ट–''ख(1)'' से ''ख(3)''** में भी दिया गया है।

वर्ष 2014–2015	
प्रारम्भिक शेष	62,14,400.00
आय	1,04,26,871.00
कुल राशि	**1,66,41,271.00**
व्यय	1,43,71,443.00
अन्तिम शेष	**22,69,828.00**
वर्ष 2015–2016	
प्रारम्भिक शेष	22,69,828.00
आय	2,55,10,255.00
कुल राशि	**2,77,80,083.00**
व्यय	1,11,34,605.00
अन्तिम शेष	1,66,45,478.00

(ख) उपरोक्त वर्णित वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदान की ₹2,55,10,255/– के अतिरिक्त नगर परिषद पालमपुर द्वारा निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त अनुदान की ₹10929000/– को मुख्य अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग शिमला को सीधे ही हस्तांतरित कर दिया गया है। अतः इस राशि का उल्लेख उक्त विवरण में नहीं किया गया है।

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 5 अनुसार दिनांक 31.3.2014 को अनुदान की ₹62,14,400 अनुप्युक्त थी, जिसे उपरोक्त विवरणानुसार प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया तथा जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"ख(1)"** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पडी राशि में से वर्ष 2014–2015 में ₹39,44,572 तथा वर्ष 2015–2016 में ₹14,24,350 अर्थात कुल ₹53,68,922 व्यय की गई जिसमें गत वर्षों की अनुप्युक्त राशि भी शामिल है, परन्तु इस राशि को व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। क्योंकि नियमानुसार अनुदान की राशि जिस वित्तीय वर्ष में दी जाती है उसे उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना अपेक्षित था, अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धित विभागों को जारी किये जाएं।

6 गृहकर

(क) गृहकर की ₹47.04 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद पालमपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक गृहकर के रूप में ₹47,03,682 वसूली हेतु शेष पड़ी है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गृहकर की वसूली केवल 8.5% की दर से की जा रही है, जबकि माह नवम्बर 2003 में निदेशक शहरी विकास द्वारा प्रत्येक शहरी निकाऐं को निर्देश दिए थे कि दूसरे वित्त निगम (2^{nd} State Finance Commission) के दिशा निर्देश की अनुपालना में वर्ष 2002–03 से गृहकर की दरों में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि की जाए ताकि वर्ष 2006–2007 तक यह दर 12.5% हो जाएं। इस प्रकार निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(c)(10)-7/98-11, दिनांक 17.11.2003 के अनुसार वर्ष 2007–08 में गृहकर की मांग 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त निर्देशों की अनुपालना न करते हुए केवल 8.5% की दर से गृह कर की वसूली की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा नगर परिषद को परामर्श दिया जाता है कि गृहकर की वसूली की दर को अविलम्ब बढ़ाया जाए तथा उपरोक्त वार्णित वसूली योगय राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि गृहकर की वसूली योग्य कुल बकाया ₹47,03,682 में से निम्नलिखित छः लोगों व संस्थाओं से ही लगभग ₹10.00 लाख

रुपये वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाए ताकि इस बड़ी रकम की वसूली सुनिश्चित हो सके।

Sr. No.	Name and Address of Department	Amount
1.	Sh. Mukesh Sood C/o Amar Bharat Shore, ward No.1 Palampur	1,47,531.00
2.	H.P.P.W.D Ward No.1 Palampur	1,70,704.00
3.	Sh. Prem Chand S/o Sh. Nathu Ram Ward No. 2 Palampur	1,88,405.00
4.	M/S Satish Kumar/Ashish Kumar Ward No. 3 Palampur	1,68,125.00
5.	Smt. Usha Devi W/o Surinder Singh Ward No. 5 Palampur	1,71,570.00
6.	(i) Sh. Om Parkash C/o Bata Shoe Store W.No. 7 (33,454) (ii) Smt. Savitri Devi w/o Late Sh. Om Parkash w.no.7 (92,200)	1,25,654.00
	Total	**9,71,989.00**

(ग) इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम व्यवसायिक परिसर के दुकानदारों (जिन्होंने दुकाने Lease hold basis पर ले रखी हैं) से भी गृहकर की बकाया ₹8,55,582 की वसूली करनी शेष है परन्तु कोई भी दुकानदार गृहकर की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। प्रकरण में जाँच पर पाया गया कि यह दुकानदार जिनकी संख्याः 60 है गृहकर का भुगतान इसलिए नही कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम प्रबन्धन प्रतिमाह ₹100 इन दुकानदारों से सफाई के एवज़ में वसूल कर रही है, जबकि वहां पर सफाई नगर परिषद पालमपुर द्वारा की जा रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि यह मामला पथ परिवहन निगम प्रबन्धन के साथ उठाया जाए और साफ सफाई के एवज़ में जो भी वसूली पथ परिवहन निगम प्रबन्धन द्वारा की जा रही है उस पर आपत्ति दर्ज करवाई जाए ताकि दुकानदारों से गृहकर की वसूली की जा सके।

(घ) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त वर्णित उप पैरों में दुकानदारों तथा अन्य व्यवसायिक संस्थओं/कार्यालयों इत्यादि से किराये के रूप में वसूली योग्य राशि को गृहकर की परिभाषा में कैसे डाला गया है।

7 नगर परिषद की सम्पतियों से बकाया मासिक किराये की ₹49.87 लाख की लम्बित वसूली के बारे में

किराया मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच पर पाया गया कि पालमपुर नगर परिषद क्षेत्र में 264 सम्पतियां किराये पर दी गई हैं जिनसे मासिक दर पर किराये की आय नगर परिषद को प्राप्त होती है। दिनांक 31.3.2016 को नगर परिषद के खातों में किराये की ₹49,87,368 वसूली हेतु शेष थी। यद्यपि वर्ष 2014–15 में नगर परिषद के विशेष प्रयासों द्वारा ₹32,35,053 की वसूली की गई, परन्तु वर्ष 2015–16 में किराया की वसूली में फिर कमी आई और कुल ₹22,08,424 की

ही वसूली की जा सकी, जोकि एक चिन्ता का विषय है। उक्त प्रकरण की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित आठ किरायेदारों से ही लाखों रुपये की किराये की वसूली की जानी शेष है।

Sr.No.	Name and address of tenant	Outstanding rent amount
1.	Sh. Prakram Singh, Shop No. 8 old Subzi Mandi, Palampur	1,03,200.00
2.	Sh. Y.R. Bakshi, Shop No. 38, S.C. Palampur	1,02,365.00
3.	Sh. Banwari Lal, Shop No. 6, S.Complex	1,27,704.00
4.	Sh. Karan Sharma, Shop No. 3 old bus stand	1,19,417.00
5.	Sh. Dinesh Awasthi, Shop No. 4 Tehsil road complex	2,12,682.00
6.	Sh. Sanjiv Jamwal, Shop No. 3 Tehsil Complex	2,69,661.00
7.	Smt. Deeksha, Shop No. 8 Tehsil complex	1,46,958.00
8.	Sh. Adarsh Rana shop no. 17 IDSMT Shoping complex	1,63,548.00

अतः सुझाव दिया जाता है कि इन दुकानदारों के खिलाफ किराया की वसूली हेतु विशेष कार्यवाही अमल में लाई जाए और अन्य सम्पत्तियों से सम्बन्धित लम्बित किराये की अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

8 जल प्रभार की ₹6.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को जल प्रभार के रूप में शहर वासियों से ₹6,25,264 की वसूली करनी शेष थी। क्योंकि पालमपुर शहर में पानी की आपूर्ति का जिम्मा नगर परिषद का है और पानी आपूर्ति पर नगर परिषद को बहुत खर्चा भी करना पड़ रहा है, अतः इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष रहना एक चिन्ता का विषय है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

9 तह बाजारी से प्राप्त आय की ₹480 को परिषद खाते में जमा न करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.8.2014 को रसीद संख्याः 189–200/187 के अन्तर्गत तहबाजारी की ₹480 को मुख्य रोकड़ बही में जमा नहीं करवाया गया है। अतः इस मामले की जाँच कृत करके चूककर्ता से ₹480 की वसूली की जाए और इसे रोकड़बही में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 नगर परिषद के कर्मचारियों को संशोधित उच्च वेतनमान के अन्तर्गत (4:9:14 वर्ष सेवाकाल के उपरान्त) ₹1.52 लाख का अधिक/अनुचित भुगतान करने बारे

(वाऊचर संख्याः 18, दिनांक 27.7.2015, ₹4,26,455)

नगर परिषद पालमपुर द्वारा निदेशक शहरी विभाग (हि0प्र0) के पत्र संख्याः UD-H(B)(7)-11/87-V-141-190, दिनांक 1.4.2015 के अन्तर्गत दिए गए निर्देश के प्रस्ताव संख्या 732 दिनांक 17.7.2015 द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों हेतु लागू किया गया जिसके अन्तर्गत

संशोधित उच्च वेतनमान 4:9:14 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया गया था। नगर परिषद के सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखत कर्मचारियों का वेतन गलत तरीक से निर्धारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप उनके ₹1,52,030 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) श्री सुरेश कुमार, लिपिक

Period	Due B.P + G.P	Drawn BP+GP	Diff	DA	Total	Month	Amount
1-12-12 to 31-12-12	13500	13910	410 +	295	705	X 1	705
1/13 to 6/13	13500	13910	410 +	328	738	X 6	4428
7/13 to 9/13	13500	13910	410 +	369	779	X 3	2337
12/13	13910	14330	420+	378	798	X 1	798
1/14 to 6/14	13910	14330	420+	420	840	X 6	5040
7/14 to 9/14	13910	14330	420+	449	869	X 3	2607
12/14	14330	14760	430+	460	890	X 1	890
1/15 to 6/15	14330	14760	430+	486	916	X 6	5496
7/15 to 9/15	14330	14760	430+	512	942	X 3	2226
12/2015	14760	15210	450+	536	986	X 1	986
1/16 to 4/16	14760	15210	450+	536	986	X 4	3944
						Total	**29,457**

(ख) श्रीमती रजनी सूद, लिपिक

Period	Due B.P + G.P	Drawn BP+GP	Diff	DA	Total	Month	Amount
9-8-12 to 30-9-12	13010	13390	380+	274	654	X 23/31 days	485
10/12 to 11/12	13810	14190	380+	274	654	X 2	1308
12/2012	14230	14620	390+	281	671	X 1	671
1/13 to 6/13	14230	14620	390+	312	702	X 6	4212
7/13 to 11/13	14230	14620	390+	351	741	X 5	3705
12/2013	14660	15060	400+	360	760	X 1	760
1/14 to 6/14	14660	15060	400+	400	800	X 6	4800
7/14 to 11/14	14660	15060	400+	428	828	X 5	4140
12/2014	15100	15520	420+	449	869	X1	869
1/15 to 6/15	15100	15520	420+	475	895	X6	5370
7/15 to 11/15	15100	15520	420+	500	920	X5	4600
12/2015	15560	15990	430+	512	942	X1	942
1/16 to 4/16	15560	15990	430+	512	942	X4	3768
						Total	**35,630**

(ग) श्री अजय कुमार, बेलदार

Period	Due B.P + G.P	Drawn BP+GP	Diff	DA	Total	Month	Amount
9-8-12 to 30-8-12	9430	9720	290+	209	499	X 23/31 days	370
9/12 to 12/12	9720	10020	300+	216	516	X 4	2064
1/13 to 6/13	9720	10020	300+	240	540	X 6	3240
7/13 to 8/13	9720	10020	300+	270	570	X 2	1140
9/13 to 12/13	10020	10330	310+	279	589	X 4	2356
1/14 to 6/14	10020	10330	310+	310	620	X 6	3720
7/14 to 8/14	10020	10330	310+	332	642	X 2	1284
9/14 to 12/14	10880	11210	330+	353	683	X 4	2732
1/15 to 6/15	10880	11210	330+	373	703	X 6	4218
7/15 to 8/15	10880	11210	330+	393	723	X 2	1446
9/15 to 12/15	11210	11550	340+	405	745	X 4	2980
1/16 to 4/16	11210	11550	340+	405	745	X 4	2980
						Total	**28,530**

(घ) श्री गोबिन्द राम, चालक

Period	DVE B.P + G.P	Drawn BP+GP	Diff	DA	Total	Month	Amount
9-8-12 to 31-8-12	9570	9590	20+	14	34	X 23/31 days	25
9/12	9860	9890	30+	22	52	X 1	52
10/12 to 12/12	10260	10290	30+	22	52	X 3	156
1/13 to 6/13	10260	10290	30+	24	54	X 6	324
7/13 to 8/13	10260	10290	30+	27	57	X 2	114
9/13 to 12/13	10570	10600	30+	27	57	X 4	228
1/14 to 6/14	10570	10600	30+	30	60	X 6	360
7/14 to 8/14	10570	10600	30+	32	62	X 2	124
9/14 to 12/14	10890	10920	30+	32	62	X 4	248
1/15 to 6/15	10890	10920	30+	34	64	X 6	384
7/15 to 8/15	10890	10920	30+	36	66	X 2	132
9/15 to 12/15	11220	11250	30+	36	66	X 4	264
1/16 to 4/16	11220	11250	30+	36	66	X 4	264
						Total	**2,675**

(ङ) श्री त्रिलोक चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता

नगर परिषद पालमपुर द्वारा श्री त्रिलोक चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 24.7.2011 से उच्चवेतनमान 4—9—14 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया गया है जोकि गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता श्रेणी के लिए अधिसूचना संख्याः Fin(PR)-B(7)-59/2010, दिनांक 27.9.2012 द्वारा 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ही उच्च वेतन मान दिया गया है। अतः गलत वेतन निर्धारण के

फलस्वरूप उक्त कर्मचारी का माह 4/2016 तक ₹55,738 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

Period	DVE B.P + G.P	Drawn BP+GP	Diff	DA	Total	Month	Amount
9-8-12 to 30-9-12	16930	18470	1540+	1108	2648	X 1-23/31 days	4613
10/12 to 12/12	17930	18470	540+	389	929	X 3	2787
1/13 to 6/13	17930	18470	540+	432	972	X 6	5832
7/13 to 12/13	18440	19030	590+	531	1121	X 6	6726
1/14 to 6/14	18440	19030	590+	590	1180	X 6	7080
7/14 to 12/14	19000	19600	600+	642	1242	X 6	7452
1/15 to 6/15	19000	19600	600+	678	1278	X 6	7668
7/15 to 12/15	19570	20190	620+	738	1358	X 6	8148
1/16 to 4/16	19570	20190	4620+	738	1358	X 4	5432
						Total	**55,738**

11 नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मचारियों/पैन्शनरों को सम्भावित ₹2.77 लाख का अधिक भुगतान करने बारे

पैन्शन भुगतान से सम्बन्धित माह 5/2015 के बिल/वाऊचरों की जाँच पर पाया गया कि निम्नलिखित पैन्शनरों को मासिक पैन्शन का भुगतान गलत दर से किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप माह अप्रैल, 2016 तक इन कर्मचारियों को कुल ₹2,77,302 का अधिक भुगतान किया जा चुका है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) श्री जगन नाथ (फिटर कुली) को ₹1.17 लाख अधिक भुगतान करना

श्री जगन नाथ, नगर परिषद पालमपुर से दिनांक 30.7.2008 को सेवा निवृत हुए। निदेशक, शहरी विकास शिमला के पत्र संख्याः UD-H(B)(10)-894/08-13345, दिनांक 21.10.2008 द्वारा उनके पक्ष में पी0पी0ओ0 जारी किया गया। पी0पी0ओ0 के अवलोकन पर पाया गया कि श्री जगन नाथ द्वारा अपनी पैन्शन को commute करवाया था और विभाग द्वारा उनकी Full Pension (Revised) ₹5680 प्रतिमाह निर्धारित की थी, जिसमें ₹1346 commute करने के उपरान्त शेष पैंशन की ₹4334 का भुगतान प्रतिमाह किया जाना था। Commutation Payment order dated 21-10-2008 की शर्त नम्बर 2 इस प्रकार थी। "Reduced Pension @ Rs. 4334/- P.M. may be paid to Sh. Jagan Nath from the date of receipt of commuted value of Pension by the pensioner or three months after the issue of authority whichever is earlier".। श्री जगन नाथ के पक्ष में commuted value of Pension की ₹1,58,452 का भुगतान स्वीकृत हुआ था। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद पालमपुर द्वारा श्री

जगन नाथ को पैन्शन का भुगतान ₹5680 प्रतिमाह के हिसाब से किया जा रहा है, जबकि यह भुगतान ₹4334 प्रतिमाह के हिसाब से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार उनको प्रतिमाह ₹1346 का अधिक भुगतान किया गया है तथा दिनांक 31.4.2016 तक उनके पक्ष में कुल (₹1346x87month=₹117102) का अधिक भुगतान बनता है। जब यह मामला नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से उठाया गया तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा आज तक श्री जगन नाथ को Commutation value का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए पैन्शन का भुगतान full rate पर किया जा रहा है अगर ऐसा है तो सुझाव दिया जाता है कि P.P.O निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला से पुनः संशोधित करवाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री राम लुभाया को ₹1.60 लाख का अधिक भुगतान

श्री राम लुभाया, सफाई कर्मचारी नगर परिषद पालमपुर से दिनांक 30.4.2010 को सेवा निवृत हुए। निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के पत्र संख्याः UD-H(B)(10)-1074/10-1570, दिनांक 28.1.2011 द्वारा उनके पक्ष में पी0पी0ओ/commutation Pension order जारी किया। इस पत्र की जांच पर पाया गया कि विभाग द्वारा पूरी पैन्शन ₹6675 प्रतिमाह निर्धारित की जिसमें ₹2670 commuted pension के उपरान्त उनके पक्ष में ₹4005 का भुगतान प्रतिमाह किया जाना स्वीकृत हुआ था। Commutation Payment order, dated 28-1-2011 की शर्त नम्बर 2 इस प्रकार थी, ''Reduced Pension @ ₹4005/ P.M. may be paid to Sh. Ram Lubhaya from the date of receipt of commuted value of Paension by the pensioner or Three mounth after the issue of authority whichever is earlier''। श्री राम लुभाया के पक्ष में commuted value of Pension की ₹2,62,536 का भुगतान स्वीकृत हुआ था। अभिलेख की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद पालमपुर द्वारा श्री राम लुभाया को पैन्शन का भुगतान ₹6675 प्रतिमाह के हिसाब से किया जा रहा है जबकि यह भुगतान ₹4005 प्रतिमाह के हिसाब से किया जाना अपेक्षित था। अतः इस प्रकार उनको प्रतिमाह ₹2670 के हिसाब से (₹2670x60month=₹160200) का अधिक भुगतान किया गया है। जब यह मामला कार्यकारी अधिकारी से उठाया गया तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा आजतक श्री राम लुभाया को commutation value की ₹2,62,536 का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए पैन्शन का भुगतान full rate पर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सुझाव दिया जाता है कि पी0पी0ओ0 को निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला से पुनः संशोधित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

यह दोनों मामले वित्तीय चूक/अनियमितता के हैं। अतः इन्हें निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला के ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाए जाते हैं।

12 बहुमंजिला कार पार्किंग एवं वाणिज्य कम्पलैक्स के निर्माण में देरी के फलस्वरूप ₹36.54 लाख की आय की सम्भावित हानि का होना

नगर परिषद पालमपुर द्वारा पुरानी सब्जी मण्डी के स्थान पर एक बहुमंजिला कार पांर्किंग एवं वाणिज्य कम्पलैक्स के निर्माण का फैसला वर्ष 2010 में लिया गया और दिनांक 28.8.2010 को समाचार पत्रों के द्वारा ''Expression of interest (EOI) for development of Parking-cum-commercial complex at Palampur under Public Private Partnership (P.P.P)'' आमन्त्रित किए गए। यह प्रक्रिया माह फरवरी 2012 तक चलती रही और अन्ततः दिनांक 7.4.2012 को बोलियां प्राप्त हुई और मैं0 रहेजा सिटी सैंटर, पालमपुर(प्रा0) लिमिटिड द्वारा सबसे ज्यादा बोली लगाकर यह प्रोजैक्ट प्राप्त किया गया। यह सारी प्रक्रिया H.P. Infrastructure Development board Shimla द्वारा संचालित एवं पूर्ण की गई और दिनांक 18.7.2012 को M/S Raheja City Centre Palampur, RZG 156 B/2, Raj Nagar Part-II, Palam Colony New Delhi-45 के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित हुआ। H.P.I.D.B-45 के पत्र संख्याः HPIDB/Parking Complex Palampur 2011-12-307-310, दिनांक 10.5.2012 द्वारा कम्पनी को Notice of Award जारी किया गया, जिसमें मुख्य शर्ते निम्न प्रकार से थी :–

(i) Annual concession fee amount for the project shall be ₹18,27,000/P.A; which shall be increased @10/- % after every three year"s over the previous annual concession fee.

(ii) Project development fee of ₹6.00 lacs in favour of H.P.I.D.B. Shimla will be deposited within 3 weeks.

(iii) Construction performance security of ₹25.00 lacs in the form of an unconditional and irrevocable bank gurantee issued by secheduled bank payable at Palampur in favour of M.C. Palampur will be deposited within 3 weeks time.

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि Concession Agreement जोकि दिनांक 18.7.2012 को कम्पनी और M.C. Palampur के बीच हुआ उसमें बहुत सी शर्तें रखी गई हैं, जिसमें शर्त नम्बर 4.1.(ए) जोकि अति महत्पूर्ण है, इस प्रकार से है, ''The concessioning authority was supposed to handover encumbrance free and vacant possession of the project site alongwith all easementary rights to the

concessionaire within the period stipulated for fulfilling the conditions precedents''

कम्पनी के साथ Concession Agreement 40 वर्षों के लिए किया गया है और कम्पनी नगर परिषद द्वारा उपरोक्त शर्त के अनुसार जमीन उपलब्ध करवाने के उपरान्त 18 महीने में निर्माण कार्य पूर्ण करेगी तथा उसके उपरान्त नगर परिषद को सालाना ₹18.27 लाख का भुगतान करेगी। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि नगर परिषद पालमपुर और H.P.I.D.B. Shimla द्वारा कम्पनी के साथ Concession Agreement की शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा आज दिन तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है तथा इस प्रकार नगर परिषद पालमपुर को आज दिन तक लगभग ₹36.54 लाख की सम्भावित आय की हानि हो चुकी है, क्योंकि यदि Agreement Sign होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया होता तो माह 1/2014 से (दिनांक 18.7.2012 + 18 महीने का वक्त) से Annual Concession की राशि मिलना शुरू हो सकती थी, क्योंकि नगर परिषद पालमपुर द्वारा अभी तक कम्पनी को जमीन हस्तांतरित नहीं की गई है। नगर परिषद द्वारा कम्पनी को जमीन हस्तांतरित न करने के मुख्य कारण निम्नलिखित है।

(i) जिस जगह कार पार्किंग व वणिज्य कम्पलैक्स का निर्माणकार्य प्रस्तावित है वहां पर पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सुलभ शौचालय भवन का निर्माण किया हुआ है जिसको हटाने बारे अनापति प्रमाणपत्र पर्यटन विभाग द्वारा नगर परिषद पालमपुर को दिनांक 5.10.2015 को जारी किया गया है।

(ii) नगर परिषद की पुरानी सब्जी मण्डी को हटाने के लिए निदेशक, शहरी विकास शिमला से स्वीकृति दिनांक 11.8.2014 इस शर्त पर मिली है कि पुरानी ईमारत को गिराने के एवज़ में ₹5,22,276 (PWD निर्धारित Reserve Price) पहले से ही कम्पनी के पास जमा करवाई जाए तब निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

(iii) निर्माण स्थल के कुछ भाग की भूमि, जिसका खसरा नम्बर 1542/615 है, हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम थी, जिसे नगर परिषद के नाम तबदील करने की स्वीकृति जिलाधीश कांगड़ा से माह 9/2014 में प्राप्त हुई है।

नगर परिषद पालमपुर द्वारा सभी N.O.C. प्राप्त करने के उपरान्त कम्पनी को पत्र संख्याः M.C.P/2015-818, दिनांक 15.10.2015, अनुस्मारक दिनांक 1.12.2015 द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु लिखा है, जिसके एवज़ में कम्पनी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को लिखा है कि हम निर्माण कार्य तभी शुरू करेगे, यदि और कोई N.O.C. किसी

विभाग से वांछित नहीं है। इस सन्दर्भ में अभिलेख की जांच पर यह भी पाया गया कि कम्पनी ने दिनांक 5.3.2016 को पत्र लिखा है कि हमें सरकार से H.P. Cinema (Regulation) Rules, 1979 के अन्तर्गत सिनेमा हॉल चलाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करवा दें, क्योंकि हमने Commercial Complex में सिनेमा हॉल खोलने का प्रावधान रखा हुआ है। इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी जानबूझ कर निर्माण कार्य आरम्भ नहीं करना चाहती ताकि अनुबन्ध के अनुसार वार्षिक Annuity Amount के भुगतान को टाला जा सके, यद्यपि इस प्रकरण में पहले ही सारे N.O.C. प्राप्त करने में 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। अब दिनांक 15.10.2015 को निर्माण कार्य शुरू करने बारे कम्पनी को पत्र लिखा है तो उक्त पत्र में 18 महीने के बाद दिनांक 15.4.2017 से वार्षिक Annuity की आय की ₹18.27 लाख को भी प्राप्ति करना सुनिश्चित किया जाए। अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच पर यह भी पाया गया कि कम्पनी द्वारा S.B.I. बैंक धर्मशाला शाखा द्वारा जो ₹25.00 लाख की बैंक गारंटी दिनांक 14.7.2012 को जारी की गई थी उन की वैधता दिनांक 13.7.2013 तक थी और इसे दोबारा Renew करवाया जाना चाहिए था, मगर नगर परिषद पालमपुर द्वारा Bank Guarantee (In liew of performance security) ₹25.00 लाख को आज दिन तक कम्पनी द्वारा Bank Guarantee को दोबारा Renew करके आज दिन नगर परिषद के पास जमा नहीं करवाया गया, जोकि एक गम्भीर मामला है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः सुझाव दिया जाता है कि कम्पनी से अविलम्ब ₹25.00 लाख की Bank Guarantee Renew करवाकर पुनः प्राप्त की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि कम्पनी को निर्माण कार्य जल्द शुरु करवाने हेतु दबाव डाला जाए, क्योंकि चर्चा के दौरान बताया गया कि उक्त यह निर्माण स्थल पूरी तरह से clear है। अतः इसे लिखित रूप में कम्पनी को Handover किया जाए। उक्त के सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13	Name of Work	:	C/o Parking Complex, Ground Floor Near L.I.C. Building Palampur
	Name of Contractor	:	Sh. Ashwani Kumar Chhibar r/o Lohna-Palampur
	Awarded Amount	:	₹38,29,350/-

संविदाकार को सेवा कर के रूप में ₹0.96 का अनुचित लाभ प्रदान करने बारे वाऊचर संख्याः 28, दिनांक 22.5.2015

नगर परिषद पालमपुर के पत्र संख्याः M.C./Works/99-938, दिनांक 18.10.2011 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार को आबंटित किया गया था। उपरोक्त वाऊचर के

अन्तर्गत ₹2,83,936 का भुगतान उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए संविदाकार को किया गया है। इस सन्दर्भ में अभिलेख की जाँच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई है, जिनके बारे में जाँच के उपरान्त अनुपालना में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(a) M/S Vinay Sharma & Associates (Architects + Engineers) पालमपुर द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य का Detailed estimate, ₹34,56,320 तैयार किया गया, जिसे नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और बाद में सहायक अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता शहरी विकास विभाग शिमला द्वारा अनुमोदित (Approve) किया गया है। जाँच में पाया गया कि Estimate में quantity of cutting in earth work को मात्रा 506.25m^3 (L/30 x W/13.5 x H/D/1.25) ली गई थी, जबकि उपरोक्त बिल में संविदाकार को इस मद के लिए 1774.60 cubic meter का भुगतान ₹160 प्रति m^3 के हिसाब से कुल ₹2,83,936 का किया गया। अतः इस मद में लगभग 350 प्रतिशत का विचलन किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(b) अवार्ड लेटर की शर्त 4 के अनुसार जोकि इस प्रकार थी, ''The work should be completed within one year positively in all respect failing which a panelty of 1% per day upto a maximum of 10% will be charged.''। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है और सिर्फ मद संख्याः 1 जोकि cutting in earth work की थी, का कार्य पूरा किया है। अतः यह स्पष्ट किया जाए कि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार संविदाकार पर Panelty जोकि ₹3,82,935 बनती है, क्यों नहीं लगाई गई।

(c) संविदाकार को प्रथम चलत बिल का भुगतान करते वक्त सेवाकर की वसूली नहीं की गई है, जोकि ₹15,900 बनती है। (Service tax @ 14% on 40% of ₹2,83,936) इस प्रकार संविदकार को ₹15,900 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि save as per P-24 will not ₹15,900

14	Name of Work	:	C/o R/Wall for parking near L.I.C. old Building Palampur
	Name of Contractor	**:**	**Sh. Ashwani Kumar Chibar r/o Lohna Palampur**
	Awarded Amount	**:**	**₹13,74,737/-**
	M.B. No./ Page No.	**:**	**24 Page 89**

नगर परिषद पालमपुर के पत्र संख्याः M.C/works/99-991, दिनांक 12.11.2013 द्वारा उपरोक्त निर्माणकार्य संविदाकार को आबंटित किया गया था। उपरोक्त वाऊचर द्वारा संविदाकार

को ₹13,59,431 का भुगतान किया गया है। अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई, जिनके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(a) अवार्ड लैटर की शर्त 4 के अनुसार, ''The work should be completed within 3 months positively in all respect failing which a panelty of 1% per day upto a maximum of ₹13,747 will be charged in addition to the provision of the agreement clauses.'' । इस सन्दर्भ में भिलेख की जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं किया है, परन्तु नगर परिषद पालमपुर द्वारा अभी तक कोई Panelty नहीं लगाई गई है जोकि ₹13,747 बनती है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(b) उपरोक्त निर्माण के प्रथम चलत बिल तक संविदाकार द्वारा ₹14,38,549 का कार्य पूरा किया है जिस पर नगर परिषद द्वारा सेवा कर नहीं काटा गया है जोकि ₹80,558 बनता है। (Service tax @ 14% on 40% of ₹14]38]549)। इस प्रकार संविदाकार को नगर परिषद पालमपुर द्वारा ₹80,558 का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि सेवाकर का भुगतान भारत सरकार के सेवाकर विभाग को नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है और इसका दायित्व नगर परिषद का बनता है। कभी भी सेवा कर विभाग नगर परिषद के खातों की जांच पड़ताल कर सकता है और कम जमा करवाए गए सेवा कर की दण्ड ब्याज सहित वसूली कर सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि संविदाकार के आगामी बिलों या प्रतिभूति में से सेवाकर की ₹80,558 को काट कर केन्द्र सरकार के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया गया और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 Name of Work : C/o Nandan Park in M.C. Area at Palampur (Sh. C/o Boundary Wall)

Name of Contractor: Sh. Himanshu Sharma R/o Jawalamukhi

M.B. No./Page No. 25, Page 85

संविदाकार ₹13,328 का अनुचित लाभ दिए जाने बारे

वाऊचर संख्याः 2, दिनांक 1.9.2014, ₹4,81,777 नगर परिषद पालमपुर के पत्र संख्याः M.C./Works/99-1230, दिनांक 1.2.2014 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य संविदाकार को ₹19,98,159 में आबंटित किया गया। उपरोक्त निर्माणकार्य के दूसरे चलत बिल की जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा दिनांक 8.7.2014 तक कुल ₹13,32,800 का कार्य सम्पन्न किया, जिसके ऊपर नियमानुसार 1% Labour Welfare Cess काटा जाना अनिवार्य था और इस Labour Welfare Cess की राशि को H.P. Worker"s Welfare Board Shimla के खाते में जमा करवाना अपेक्षित

था, परन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद पालमपुर द्वारा संविदाकार के चलत बिल से ₹13,328 को नहीं काटा गया और संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली संविदाकार के अन्य बिलों या प्रतिभूति से वसूल करके worker"s welfare board के खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य की मद संख्याः 5 i.e. "2nd class brick masonary with cement mortar 1:6" में बहुत ज्यादा विचलन किया गया है, क्योंकि अवार्ड लेटर के अनुसार 11.10 cum का कार्य किया जाना अपेक्षित था, परन्तु संविदाकार को भुगतान 20.57 cum मात्रा का किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

16 गत तीन वर्षों की आय एवं व्यय का विवरण

नगर परिषद पालमपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों की सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	वर्ष	आय	व्यय
1	2013—2014	2,15,89,941	1,95,93,000
2	2014—2015	2,18,95,193	2,67,84,373
3	2015—2016	3,97,15,144	2,65,46,492

17 अन्य विविध अनियमितताएं

(क) वाऊचर संख्याः 35, दिनांक 26.9.2014, ₹23,988

श्रीमती रजनी देवी, लिपिक को ₹23,988 का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु किया गया। उक्त बिल की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि उनको ₹500 का भुगतान Diet Charges के रूप में किया गया है जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के विरूद्ध है। जब यह मामला कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने श्रीमती रजनी देवी से ₹500 की वसूली करके रसीद संख्या 058/37, दिनांक 5.5.2016 द्वारा नगर परिषद निधि में जमा करवा दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

(ख) वाऊचर संख्याः 18, दिनांक 19.9.2014, ₹5,768

उपरोक्त बिल/वाऊचर की जाँच पड़ताल पर पाया गया कि श्री राकेश कुमार, लिपिक को यात्रा भत्ता दावे के लिए यह भुगतान किया गया था जिसमें ₹162 का अधिक भुगतान किया गया है। श्री राकेश कुमार लिपिक को डी0ए0 प्रतिदिन ₹180 के हिसाब से दिया गया जबकि यह ₹160 प्रतिदिन दिया जाना अपेक्षित था। अतः अधिक भुगतान की गई ₹162 की वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

18 **लघु आपति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्ष :–** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि कन्ट्रैक्टर लैजर तैयार नहीं किया गया है न ही कार्य आबंटन से पूर्व विभागीय न्यायोचितता बनाई जाती है। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों के निपटारे हेतु व रोकड़ बही/भण्डार रजिस्टर के ठीक रख–रखाव की ओर उचित ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः V(3)-फिन(एल0ए0डी0)खण्ड–4, 6500–6501 दिनांकः15.12.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजीकृत 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद पालमपुर, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–"A"

पैरा 1(ख) में वर्णित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1968 से 3/1973

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 23	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1978

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 21(क) 1 व 5	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1980

1	पैरा 9(2 व 3)	अनिर्णीत

(घ) गत आपत्ति विवरणिकाएँ

क्र०सं०	अवधि	बकाया मद	निर्णीत/अनिर्णीत
1	4/57 से 3/58	42 व 49	अनिर्णीत
2	4/58 से 3/59	13, 27 व 32	अनिर्णीत
3	4/59 से 3/60	14 व 33	अनिर्णीत
4	4/60 से 3/62	11	अनिर्णीत
5	4/62 से 3/63	12(4), 14 व 18	अनिर्णीत
6	6/63 से 3/64	10 व 15	अनिर्णीत
7	4/75 से 3/78	4(4 से 6) व 5	अनिर्णीत
8	4/78 से 3/80	1(ए व बी) व 6(सी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1985

1.	पैरा 16(5)	अनिर्णीत
	पैरा 16(20)	अनिर्णीत
	पैरा 18(7)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1989

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 12(2,3 व 4)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(22)	अनिर्णीत
5	पैरा 15(23)	अनिर्णीत

6	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(26)	अनिर्णीत
8	पैरा 15(29)	अनिर्णीत
9	पैरा (30–एफ, जी)	अनिर्णीत
10	पैरा 15(37)	अनिर्णीत
11	पैरा 15(38)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(39)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(42)	अनिर्णीत
14	पैरा 15(54)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(56)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(61)	अनिर्णीत
17	पैरा 15(70)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1994

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1997

1	पैरा 6(क, ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(क, ख, ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ख, ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 17)1, 3, 4)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2005

1	पैरा 3(7)(i)	निर्णीत	(रोकड़बही नम्बर 19 के पृष्ठ 84 से 86 में व्यय ₹3,15,083 के ईन्द्राज की जांच की गई)
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	निर्णीत	(₹2,71,122 का भुगतान चैक द्वारा विभिन्न ठेकेदारों एवं कर्मचारियों को किया गया जिसकी जांच R.No. 48 दिनांक 28.5.16 द्वारा की गई)
5	पैरा 9(1)(2)	निर्णीत	(O.B.C. बैंक से लगातार किराया वसूला जा रहा है और अनुबन्ध की शर्तानुसार 20% किराया बढ़ाया गया है)
6	पैरा 12	अनिर्णीत	
7	पैरा 13	अनिर्णीत	
8	पैरा 14	अनिर्णीत	
9	पैरा 17	निर्णीत	(दुकानों को नया Shopping Complex बनवाने हेतु खाली करवाया गया है)
10	पैरा 18	निर्णीत	(दुकानों को नया Shopping Complex बनवाने हेतु खाली करवाया गया है)
11	पैरा 19	निर्णीत	(प्रतिभूति राशि पहले ही नगर परिषद द्वारा प्राप्त की जा चुकी है)
12	पैरा 20(1) व (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा 21	निर्णीत	(₹1230 की वसूली R.No. 18/40 दिनांक 17.6.2016 द्वारा कर ली गई है)
14	पैरा 22	अनिर्णीत	
15	पैरा 23	अनिर्णीत	
16	पैरा 26	अनिर्णीत	
17	पैरा 27	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
18	पैरा 28(1) से (3)	अनिर्णीत	
19	पैरा 30(क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 31	अनिर्णीत	
22	पैरा 32	निर्णीत	(₹1375 की वसूली जी–8 90/39 दिनांक 14.6.2016 द्वारा कर ली गई है)
23	पैरा 33	अनिर्णीत	
24	पैरा 34	निर्णीत	(Sr.No. 2, पृष्ठ–98 में इन्द्राज की जांच की)

25	पैरा 35	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
26	पैरा 36	अनिर्णीत	
27	पैरा 37	अनिर्णीत	
28	पैरा 38	अनिर्णीत	
29	पैरा 39	अनिर्णीत	
30	पैरा 40	अनिर्णीत	
31	पैरा 41	अनिर्णीत	
32	पैरा 42	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
33	पैरा 43(i) व (ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 45	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
35	पैरा 46	अनिर्णीत	
36	पैरा 49	अनिर्णीत	
37	पैरा 50	अनिर्णीत	
38	पैरा 51	निर्णीत	(₹80,000 का भुगतान प्रभावित दुकानदारों को उपायुक्त कांगड़ा से प्राप्त राशि से किया गया था, परिषद निधि में से कोई भुगतान नहीं किया गया है)
39	पैरा 52	अनिर्णीत	
40	पैरा 54	अनिर्णीत	
41	पैरा 55	अनिर्णीत	
42	पैरा 56	निर्णीत	(₹11,080 की वसूली रसीद संख्या 66／17, दिनांक 12.10.2015 द्वारा कर ली गई है)
43	पैरा 57	अनिर्णीत	
44	पैरा 59	अनिर्णीत	
45	पैरा 60	अनिर्णीत	
46	पैरा 62	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
47	पैरा 63	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
48	पैरा 64	निर्णीत	(प्रतिभूति राशि को सावधि जमा में जमा किया गया)
49	पैरा 66	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
50	पैरा 67	अनिर्णीत	
51	पैरा 68	निर्णीत	(तैयार अभिलेख की जाचं पड़ताल के उपरान्त)

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा 2(8)(क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
2	पैरा 2(8)(ख)	निर्णीत	(वर्तमान में बैंक खातों को club कर दिया गया है।)
3	पैरा 2(10)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4(1)(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(1)(ग)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 4(1)(घ)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
7	पैरा 4(1)(ड.)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(1)(च)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)
9	पैरा 4(2)(ख)	निर्णीत	(किराये का भुगतान पुनः शुरू किया गया है।)
10	पैरा 4(2)(ग)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
11	पैरा 4(2)(घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4(3)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर)
13	पैरा 5(1)	निर्णीत	(नगर परिषद पालमपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले ही निर्णीत पाया गया।)
14	पैरा 6(1)	निर्णीत	(निविदाओं की जांच पड़ताल के उपरान्त)
15	पैरा 6(4)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
16	पैरा 6(5)	निर्णीत	(₹115 की वसूली जी–8 नम्बर 31/81, दिनांक 5.7.2010 द्वारा कर ली गई है)
17	पैरा 6(6)	निर्णीत	(श्री अजय कुमार बेलदार द्वारा दिनांक 18.12.2004 को परिवार नियोजन आपरेशन करवाया गया था अभिलेख की जांच के उपरान्त)
18	पैरा 7(1)(क)(ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7(1)(घ)(ड़)	अनिर्णीत	
20	पैरा 7(1)(छ)(ज)	अनिर्णीत	
21	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 10(1)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त नगर परिषद निधि को कोई नुकसान नहीं हुआ है)
23	पैरा 10(2)(3)(4)	निर्णीत	(अनुपालना की जांच के उपरान्त वर्तमान में सभी खाते स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में है)

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 2(6)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
2	पैरा 2(8)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
3	पैरा 2(9)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
4	पैरा 2(10)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
5	पैरा 2(11)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
6	पैरा 2(12)	निर्णीत	(₹20.00 की वसूली रसीद संख्या 37/40 दिनांक 18.6.2016 द्वारा की गई है)
7	पैरा 2(13)	अनिर्णीत	
8	पैरा 2(14)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही की जांच पड़ताल के उपरान्त)
9	पैरा 4(1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
10	पैरा 4(2)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
11	पैरा 4(3)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
12	पैरा 4(4)(क)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
13	पैरा 4(4)(ख)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
14	पैरा 4(4)(ग)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
15	पैरा 4(4)(घ)	निर्णीत	(वर्ष 2013 में पुराने बकाया किराये की वसूली कर ली गई है)
16	पैरा 4(4)(ड़)	निर्णीत	(वर्ष 2013 में पुराने बकाया किराये की वसूली कर ली गई है)
17	पैरा 5(1)(2)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
18	पैरा 5(4)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर की जांच पड़ताल करके)
19	पैरा 5(5)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5(6)	निर्णीत	(की गई कार्यवाही की जांच के उपरान्त)
21	पैरा 6(2)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
22	पैरा 6(3)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
23	पैरा 6(4)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
24	पैरा 6(5)	निर्णीत	(नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 48, दिनांक 28.5.2016 के अनुसार)
25	पैरा 7(1) से (8)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7(9)(क,ख)	अनिर्णीत	

27	पैरा 7(10)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
28	पैरा 7(11)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
29	पैरा 8(1)से(8)	अनिर्णीत	
30	पैरा 9(1) से (3)	अनिर्णीत	
31	पैरा 10(1)	निर्णीत	(अभिलेख की जांच के उपरान्त)
32	पैरा 11(2)	अनिर्णीत	
33	पैरा 11(3)	अनिर्णीत	
34	पैरा 13(1)(क) से (घ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर तथा अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
35	पैरा 13(2)से(5)	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर तथा अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
36	पैरा 14(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत	

(ठ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा 4.7	अनिर्णीत	
2	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
3	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
4	पैरा 6.1	अनिर्णीत	
5	पैरा 6.2(1)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6.2(2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
8	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
9	पैरा 7.6	अनिर्णीत	
10	पैरा 7.7	अनिर्णीत	
11	पैरा 7.8	अनिर्णीत	
12	पैरा 7.9(i)	अनिर्णीत	
13	पैरा 7.9(ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा 7.10	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर के आधार पर एवं अभिलेख की जांच के उपरान्त)
15	पैरा 7.11	निर्णीत	(₹5319 की प्राप्ति समाचार पत्रों की बिक्री पर रसीद संख्याः 11/86 दिनांक 9.12.2014 को की गई है)
16	पैरा 7.12	अनिर्णीत	
17	पैरा 8.3	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)

18	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
19	पैरा 8.5	अनिर्णीत	
20	पैरा 9.1	अनिर्णीत	
21	पैरा 9.3	अनिर्णीत	
22	पैरा 9.4	अनिर्णीत	
23	पैरा 9.5	अनिर्णीत	
24	पैरा 9.6	अनिर्णीत	
25	पैरा 9(7)से (16)	अनिर्णीत	
26	पैरा 10(1) से (8)	अनिर्णीत	
27	पैरा 11	निर्णीत	(अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
28	पैरा 11.1	अनिर्णीत	
29	पैरा 12	अनिर्णीत	
30	पैरा 12.1	अनिर्णीत	
31	पैरा 13	अनिर्णीत	
32	पैरा 13.1	अनिर्णीत	
33	पैरा 14	अनिर्णीत	
34	पैरा 14.1	अनिर्णीत	
35	पैरा 15	अनिर्णीत	

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
4	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
7	पैरा 8(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
8	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	

11	पैरा 10(i)(ii)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11(i)(ii)	अनिर्णीत	
13	पैरा 12	अनिर्णीत	
14	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 13	अनिर्णीत	
16	पैरा 14	निर्णीत	(अभिलेख एम0बी0 25 पृष्ठ 37 में सीमेंट की वास्तविक खपत की जांच और नगर परिषद के प्रस्ताव संख्याः 48(iii) दिनांक 28.5.16 की जांच पड़ताल के उपरान्त)
17	पैरा 15(क)(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	निर्णीत	(प्रस्तुत उतर एवं अभिलेख की जांच पड़ताल के उपरान्त)
21	पैरा 19	अनिर्णीत	
22	पैरा 20	अनिर्णीत	
23	पैरा 21	अनिर्णीत	
24	पैरा 22	अनिर्णीत	
25	पैरा 23(i) से (iv)	अनिर्णीत	
26	पैरा 24(i) से (iii)	अनिर्णीत	
27	पैरा 25	अनिर्णीत	
28	पैरा 26	अनिर्णीत	
29	पैरा 27(i) से (iii)	अनिर्णीत	

पैरों का सार

अवधि 4/14 को अनिर्णीत पैरों का आरम्भिक शेष =	213
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पैरों की संख्या =	(+) 14
वर्तमान अंकेखण के दौरान निपटाए गए पैरों की संख्या =	(–) 73
दिनांक 31.3.2016 को अनिर्णीत पैरों की कुल संख्या =	**154**

नोट :– उक्त के अतिरिक्त अवधि 4/1957 से 3/1980 तक की लगभग 17 लघु आपति विवरणिकाएं निपटारे हेतु लम्बित है।